



# RAJASTHAN STATE WAREHOUSING CORPORATION

(A Government Undertaking)

## राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

Head Office : Bhawani Singh Road,  
Near JDA, Jaipur-302 015

प्रधान कार्यालय : भवानी सिंह मार्ग,  
जेडीए के पास, जयपुर-302 015

Phone : 0141 - 2565087

: 2565088, 2565089

FAX : 0141-2560698, 2564428

e-mail : rswcho@gmail.com

Website : www.agriculture.rajasthan.gov.in/rswc

GST No. : 08AABCR1633C1ZV

क्रमांक: प्र.का./पीडी/एफजी(1)/Part-VIII/2019/ 3112 दिनांक : 13/3/2020

### किराये पर गोदाम उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन निविदा

रबी सीजन वर्ष 2020 में समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने वाले खाद्यान्न/दलहन/तिलहन के भण्डारण हेतु समस्त राजस्थान में किराये के कवर्ड गोदामों की आवश्यकता होगी। अत इच्छुक गोदाम मालिक किराये पर गोदाम उपलब्ध कराने हेतु अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उक्त प्रस्ताव दिनांक 19.03.2020 को अपराह्न 3.00 बजे तक निगम प्रधान कार्यालय, जयपुर में अथवा नजदीक के भण्डारगृह पर डाक से या व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इस कार्य की विस्तृत शर्तें निगम की वेबसाइट एवं [agriculture.rajasthan.gov.in/rswc](http://agriculture.rajasthan.gov.in/rswc) एवं [State Public Procurement portal, Rajasthan](http://State Public Procurement portal, Rajasthan) पर देखी जा सकती है। इसके अलावा निगम के भण्डारगृहों से भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (विकास)

12/3/2020

## राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

NIT क्रमांक- प्र.का./पीडी/एफजी(1)/Part-VIII/3112

दिनांक :- 13.03.2020.

### INVITATION TO BID

**विषय : राज्य में खाद्यान्न/दलहन व तिलहन (गेहूँ/चना/सरसों) के भण्डारण हेतु किराये के गोदाम उपलब्ध करवाने हेतु गोदाम किराये की दरें आमंत्रित करने बाबत।**

निगम को समर्थन मूल्य पर क्रय किये जा रहे खाद्यान्न/दलहन/तिलहन (गेहूँ/चना/सरसों) के भण्डारण हेतु निम्नानुसार गोदामों को किराये पर लिये जाने की आवश्यकता है, अतः इच्छुक गोदाम मालिक गोदाम किराये की दरें दिनांक 19.03.2020 अपराह्न 3.00 बजे तक निकटतम भण्डारगृह पर अथवा निगम प्रधान कार्यालय, जयपुर में सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें। प्राप्त दरें निगम मुख्यालय पर खोली जावेगी।

**शर्तें निम्नानुसार हैं :-**

1. यह प्रस्ताव केवल वर्तमान में उपलब्ध पूर्ण निर्मित तत्काल भण्डारण योग्य कवर्ड गोदामों के लिए ही लागू होगा।
2. यदि गोदाम मालिक के पास अलग-अलग जिले के लिये कवर्ड गोदाम उपलब्ध हैं तो प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। एक जिले में स्थित गोदामों के लिए एक ही प्रस्ताव डाला जा सकता है।
3. मैन रोड़ से कवर्ड गोदाम तक पहुँचने हेतु मोटरेबल रोड़ होना आवश्यक है एवं गोदाम परिसर के अन्दर भी मोटरेबल रोड़ होना आवश्यक होगा, जिससे वाहनों से गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग व वाहनों का आवागमन सुगमतापूर्वक हो सकें।
4. गोदाम परिसर में यदि सिक्यूरिटी रूम/ऑफिस रूम उपलब्ध हो तो उसे भी गोदाम के साथ उपलब्ध कराना होगा। इनका किराया गोदाम किराये में ही माना जावेगा। इसका पृथक से कोई किराया देय नहीं होगा।
5. निविदा में प्रस्तुत ऑफर वाले कवर्ड गोदाम पूर्ण रूप से भण्डारण योग्य होने चाहिये। यदि निगम द्वारा निरीक्षण करने पर गोदाम भण्डारण योग्य नहीं पाया जायें तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव निरस्त किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी गोदाम मालिक स्वयं की होगी।
6. निगम द्वारा किराये पर लिये गये कवर्ड गोदामों में नियमानुसार कोई भी जिन्स भण्डारित की जा सकती है व कीटनाशकों का उपयोग एवं जमा स्कन्धों के कीट नियंत्रण संबंधी गतिविधि आवश्यकतानुसार कर सकेगा।
7. ऑफर किया गया कवर्ड गोदाम अपने आप में एक इकाई होना चाहिये जिसे निगम द्वारा ताला लगाकर अपने नियंत्रण एवं कस्टेडी में रखा जा सकें। किराये पर लिये गये कवर्ड गोदाम/परिसर निगम के पूर्ण नियंत्रण व अधिकार क्षेत्र में होंगे। किसी भी व्यक्ति को गोदाम/परिसर में अनाधिकृत प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
8. दरें प्रति वर्गफिट/प्रतिमाह सभी करों (जी.एस.टी.) सहित दी जावेगी।
9. गोदाम की बिजली पानी का खर्चा दरों में शामिल होगा। इसके लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
10. गोदाम न्यूनतम तीन माह के लिये किराये पर लिया जावेगा जिसका पूर्ण आरक्षित स्थान के अनुसार किराये का भुगतान देय होगा। गोदाम किराया गोदामों में स्टॉक जमा होने की तिथि से देय होगा। तीन माह पश्चात् गोदाम खाली होने तक वास्तविक उपयोगिता के आधार पर किराये का भुगतान किया जावेगा।

11. गोदाम को तीन माह पश्चात् कभी भी एक माह के नोटिस पर खाली किया जा सकेगा।
12. गोदाम किराये का भुगतान प्रतिमाह गोदाम मालिक द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर यथाशीघ्र किया जावेगा। यदि भुगतान करने में किसी प्रकार के टैक्स आदि की देयता होगी तो नियमानुसार कटौती की जावेगी।
13. उक्त कार्य हेतु भण्डारण स्थान की उपलब्धता के आधार पर एक से अधिक गोदामों को किराये पर लिया जा सकता है।
14. गोदाम किराये पर लेने में गोदाम की उपयोगिता/गोदाम की क्षमता एवं निगम भण्डारगृह से दूरी आदि को दृष्टिगत रखते हुए गोदाम किराये पर लिया जावेगा।
15. कवर्ड गोदाम किराये पर उपलब्ध कराने के उपरान्त निगम के पास किराये पर रहने की अवधि में गोदाम रोड़ इत्यादि में किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता होती है तो गोदाम मालिक को ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर तीन दिवस में मरम्मत इत्यादि स्वयं के खर्च पर करानी होगी।
16. कवर्ड गोदाम का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिये जिसमें एयरेशन एवं कास वेन्टीलेशन होना आवश्यक है एवं आवश्यक संख्या में गेट होने चाहिये जिससे कि माल जमा/निकासी सुगमतापूर्वक हो सके एवं गोदाम में किसी प्रकार की सीलन, दीमक का प्रकोप नहीं होना चाहिये। प्रस्तावित कवर्ड गोदामों की छत से पानी का टपकना अथवा रिसाव आदि नहीं होना चाहिये। कवर्ड गोदाम डूब क्षेत्र/पानी के बहाव क्षेत्र में नहीं होना चाहिये। गोदाम परिसर से पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये।
17. गोदाम मालिक अपने प्रस्ताव निर्धारित तिथि तक निगम प्रधान कार्यालय में अथवा नजदीक के भण्डारगृह पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
18. गोदाम प्रस्ताव मय दरें निम्न प्रारूप में फर्म के लेटर हेड पर सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी।

फर्म/मालिक का नाम	
गोदाम का पता	
गोदाम की माप लम्बाई (फीट) = चौड़ाई (फीट) = ऊँचाई (फीट) =	
दूरभाष नम्बर =	
मोबाइल नम्बर =	
फेन नम्बर =	
फर्म की स्थिति में जीएसटी नं. =	
गोदाम मालिक को स्वीकार्य न्यूनतम किराया दर (रूपये में) प्रतिवर्ग फिट/प्रतिमाह (अंको व शब्दों में)	
गोदाम किराये के भुगतान हेतु गोदाम मालिक, फर्म/निजी मालिक/साझेदारों के बैंक खातों का विवरण :- बैंक का नाम एवं शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या, बैंक आईएफएसएसी कोड नं.(पास बुक की प्रति/कैन्सिल चैक)	
हमें निविदा की सभी शर्तें स्वीकार हैं।	
दिनांक:	हस्ताक्षर गोदाम मालिक/प्रोपराइटर